

संख्या— ई-64692 / 2024

प्रेषक,

आलोक कुमार पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायती राज अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक जुलाई, 2024

विषय— मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या-441/2023 "राज्य में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रत्येक जनपद के 01 ग्राम पंचायत को विश्व पर्यावरण दिवस की तिथि को रू0 5.00 लाख का पुरस्कार दिया जायेगा" हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-387/13/पं0-2/बजट मांग/ 2024-25, दिनांक 28.05.2024, एवं वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-201358, दिनांक-22 मार्च, 2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के लेखाशीर्षक 2515-00-101-00-42 "स्वच्छता उत्कृष्टता कार्यों हेतु पुरस्कार" के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 65,00,000.00 (रू0 पैंसठ लाख मात्र) को निम्न शर्तों के अधीन, व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त अनुभाग-1 के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 24 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, किया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में कदापि नहीं किया जायेगा।

(iii) उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को कम करने का अधिकार नहीं देता है, जिसमें बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उक्त व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा।

(v) बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(vi) वित्त अनुभाग-1 के उक्त संदर्भित शासनादेश के अनुक्रम में शासन स्तर से

सॉफ्टवेयर के माध्यम से उक्तानुसार पूंजीगत/राजस्व पक्ष के सुसंगत उप मानक मदों में आय-व्ययक के सापेक्ष धनराशि रू0 65,00,000.00 (रू0 पैंसठ लाख मात्र) का बजट आवंटन वित्त विभाग द्वारा विभागीय अनुदान सं0-19, के अन्तर्गत आवंटित कोड में कर दिया गया है।

2- इस संबध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-19, के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515-00-101-00-42 के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-201358, दिनांक-22 मार्च, 2024 के द्वारा प्रतिनिधानित व्यवस्थान्तर्गत जारी किया जा रहे हैं।

संलग्नक-अलॉटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

(आलोक कुमार पाण्डेय)

अपर सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. बजट एवं राजकोषीय संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-4/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
6. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
7. गार्ड ।

आज्ञा से,

(डी0एम0एस0राणा)

संयुक्त सचिव